न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंड़ल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

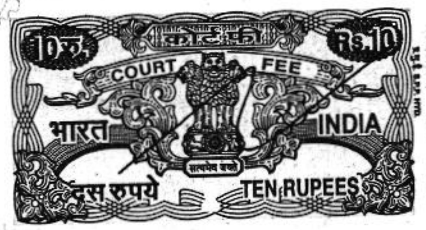

R · 388 - II\13

1– शिवानन्द साकेत तनय श्री रामनिहोर साकेत

2– राजमणि साकेत तनय श्री रामनिहोर साकेत

3– नागमुनि साकेत तनय श्री रामनिहोर साकेत

4 राजनन्द तनय श्री रामनिहोर साकेत

5– पंची पति श्री रामनिहोर साकेत, सभी निवासी ग्राम नन्दनपुर, थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ....आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

रघुनाथ कुशवाहा तनय श्री महादेव काछी, निवासी ग्राम नन्दनपुर थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ....अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 05 / अ–09 / 2011.2012 पारित आदेश दिनांक 03.10. 2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र बावत् भूमि खसरा कमांक 36 स्थित मौजा नन्दनपुर, प0 ह0 अमोखर, रा0 नि0 सीतापुर तहसील मऊगंज के सभी बटांको के नक्शा तर्मीम किये जाने वाबत आवेदन पत्र दिया गया, जबकि भूमि खसरा कमांक 36 के बटांक नं0 36 / 2 / 2, 36 / 4, 36 / 1 / 8, 36 / 1 / 9, आदि बटांको का ——— तर्मीम पूर्व से हो चुका था, जिसकी इतलाबी वर्तमान नक्शा में अंकित है, किन्तु

(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुपूर्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 388/II/13 शिवानंद / रघुनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 19/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी [illegible], [illegible] के प्रकरण क्रमांक 05/अ-09/11-12 में पारित आदेश दिनांक 03/10/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	